Rajasthan Forestry and Biodiversity Project-2
greening lands... greening lives...
Rajasthan Vaniki Evam Jaiv Vividhata Sanrakshan Society

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना – 2

स्वयं सहायता समूह एवं आय सृजन गतिविधियां

JICA

JAPAN
Official Development Assistance

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना–2

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2 जापान इन्टरनेशनल कॉ–आपरेशन ऐजेन्सी (JICA) के वित्तिय सहयोग से राजस्थान राज्य के दस मरूस्थलीय जिलों, पांच गैर मरूस्थलीय जिलों तथा सात वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के चयनित 650 गावों में क्रियान्वित की जा रही है।

परियोजनान्तर्गत गरीबी उन्मूलन एवं आय सृजन गतिविधि स्थापना एक प्रमुख घटक है। इसके अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के गठन उनके क्षमता संवर्धन एवं कौशल उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। इन समूहों को परियोजना से आय सृजन गतिविधि स्थापित करने हेतु समस्त तकनीकी एवं बाजार संबंधित सहयोग तथा ग्राम स्तर पर ही सूक्ष्म दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है जिससे क्षेत्र में निवासरत समुदायों को सत्त आजीविका उपलब्ध कराई जा सके।

स्वयं सहायता समूह क्या है?

- अपने स्वयं का समूह,
- अपने स्वयं के नियम,
- अपने स्वयं के द्वारा संचालन,
- अपने स्वयं का बैंक,
- सामूहिक कार्य, आत्मनिर्भरता, निरन्तर प्रगति, बचत एवं साख का आधार।
- समूह सदस्यों के एकल व सामूहिक प्रयासों से आय सृजन गतिविधि स्थापित कर जीविकोपार्जन का आधार तैयार करना एवं खुशहाल जीवन निर्वाह करना।

आय सृजन गतिविधि क्या हैं ?

- छोटे समूह द्वारा शुरूआत
- छोटी पूँजी
- आसान तकनीकि एवं उपकरण
- स्थानीय संसाधनों / कच्चे माल का उपयोग
- लेन देन अनौपचारिक / औपचारिक
- शुरू करने में आसान

जैसे : लघु वन उत्पादो का संग्रहण एवं विपणन, बांस आधारित व्यवसाय, कपड़े के बैग बनाने का काम, कारपेट बुनाई, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, दरी बुनाई, कशीदाकारी, पत्थर के सामान, गोटा किनारी, कृषि एवं पशुपालन आदि।)

समूह में आय सृजन गतिविधि के फायदे

- उत्पादन घर में ही, कम मेहनत व कम लागत
- सूचना के आदान–प्रदान मे सहायता
- संगठन से प्राप्त शक्ति का सदुपयोग
- पूँजी की सहज उपलब्धता
- साझा साधनों से उत्पादन में बढ़ोतरी, लागत में कमी, बेचान में आसानी और लाभ मे बढ़ोतरी
- आपसी विचार–विमर्श से सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास, समस्याओं का समाधान एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी।

आय सृजन गतिविधि स्थापना हेतु समूह में चाहिए

- सदस्यों में जागरूकता, आपसी समझ एवं एकता
- समूह के संचालन की मूलभूत जानकारी
- आपसी विचार–विमर्श से सामूहिक निर्णय एवं जोखिम लेने की क्षमता
- पूँजी की उपलब्धता तथा सूचना एवं सूचना स्त्रोतों की पहचान।

समूह में सूक्ष्म उद्यम के फायदे

आज दुनिया के अविकसित तथा विकासशील देशों के सामने सबसे बड़ी समस्या गरीबी है। गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन के लिये विवश परिवारों के पास अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए अवसर तथा साधन नहीं है। उनका समय तथा श्रम बेकार जा रहा है। इस समय तथा श्रम का स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा आय सृजन गतिविधियों को स्थापित करके उपयोग किया जा सकता है। समूह निर्माण की योजना भारत मे ही नहीं बल्कि संसार के अनेक देशों मे एक आन्दोलन का रूप ले चुकी है।

छोटे–छोटे उत्पादन कार्यो, उद्यमों को स्थापित करने के लिये छोटी अर्थात कम पूँजी की जरूरत होती है। यह छोटी सी पूँजी भी इन गरीब परिवारों के पास नहीं होती । ऐसी स्थिति में पूँजी की उपलब्धता केवल समूह के सदस्यों द्वारा ही करायी जा सकती है। इस प्रकार जब कोई निर्धन व्यक्ति स्वयं की सहायता करने वाले समूह का सदस्य बन जाता है तो वह स्वयं को अकेला महसूस नहीं करता। उसके साथ पूरा समूह होता है।

समूह के साथ जुड़कर, आय सृजन गतिविधि संचालित करने से अनेक लाभ होते हैं तथा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पहलुओं के सम्बन्ध में भी सदस्यों में जागरूकता पैदा होती है। सदस्यों द्वारा समूह में आपसी विचार–विमर्श से सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, जोखिम लेने की क्षमता बढ़ती है तथा ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है। इस प्रकार संगठित साधनों से लागत में कमी व लाभ में बढ़ोतरी संभव है।

सूक्ष्म उद्यम विकास में बाधाएँ एवं समाधान

क्र.सं.	बाधाएँ	समाधान
1.	**विपणन की समस्या**	
		– बाजार का उत्पादन से पूर्व सर्वेक्षण, बाजार की मांग के अनुसार उत्पाद – डिजाइन में निरन्तर बदलाव एवं आधुनिक बाजार की माँग अनुसार उत्पादन – नये बाजार खोजना एवं विभिन्न क्रेताओं से नेटवर्किंग – उत्पाद को बेचने में सम्बन्धित व्यवसाय से जुड़े सम्पर्क व्यक्तियों की सहायता – प्रचार–प्रसार तथा समूह स्तर पर विपणन
2.	**वित्तीय ऋण की अनुपलब्धता**	
		– बचत और साख समूह का सशक्तिकरण – परियोजना एवं बैंक से समूह का सम्पर्क
3.	**बाजार में प्रतियोगिता का होना**	
		– उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान – उत्पाद की बिक्री दर का निर्धारण उचित प्रकार से – अपनी साख को कायम रखना तथा क्रेता के साथ अच्छा व्यवहार
4.	**उत्पाद की लागत महंगी पड़ना**	
		– उत्पादन की सही योजना – सही गुणवत्ता वाले कच्चे माल की सस्ती खरीददारी – समूह स्तर पर कच्चे माल का क्रय, उत्पादन एवं बिक्री तथा सही गणना
5.	**डिजाइन की नियमित रूप से अनुपलब्धता होना**	
		– नये कौशल हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण – मेले, प्रर्दशनियों, बाजार तथा अखबारों तथा टीवी की मदद

बचत एवं साख समूह की सूक्ष्म उद्यम में भूमिका

गरीब को ऋण की आवश्यकता क्यों ?

1. निजी उपभोग : शादी के लिए, बीमारी के इलाज के लिए, लड़की की विदाई के लिए, अनाज के लिए, चारे के लिए, मवेशियों के इलाज हेतु, घर की मरम्मत आदि।
2. उत्पादन : बीज के लिए, डीजल के लिए, कच्चे माल क्रय के लिए आदि

ग्रामीण क्षेत्र में ऋण के उपलब्ध स्त्रोत

1. वित्तीय संस्थान जैसे– कोऑपरेटिव बैंक, व्यावसायिक बैंक आदि
2. परम्परागत जैसे– महाजन, साहूकार, रिश्तेदार आदि

वित्तीय संस्थान

प्रबल पक्ष	दुर्बल पक्ष
स्थाई नियम तथा उचित ब्याज दर	अधिक समय लगना तथा निश्चित समय में ही लेन–देन
बचत करने की सुविधा तथा शोषण रहित	औपचारिकताओं की अधिकता तथा ऋण निजी उपभोग के लिये नहीं

परम्परागत

प्रबल पक्ष	दुर्बल पक्ष
स्थानीय एवं समय पर उपलब्धता	उच्च ब्याज दर तथा अनुचित शर्तो पर ऋण
एक बार में एक से अधिक बार ऋण मिलना संभव	कोई नियम नहीं, उचित दस्तावेज व रिकॉर्ड नहीं
निजी उपभोग हेतु	गिरवी की आवश्यकता, वायदे से मुकरने की संभावना एवं शोषक व्यवस्था

सूक्ष्म उद्यम में बचत एवं साख समूह की भूमिका

– परम्परागत ऋण के बोझ से छुटकारा दिलाना – अल्प बचत करके, धन का प्रबन्धन
– स्थानीय वित्तीय संसाधन बनाना–मिनी बैंक के रूप में
– कच्चे माल एवं उत्पादन से सम्बन्धित गतिविधि के लिए ऋण उपलब्ध कराना
– राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना–2 से सुगम ऋण प्राप्त करना

आदर्श स्वयं सहायता समूह के गुण

– समान सामाजिक– आर्थिक पृष्ठभूमि वाले सदस्य।
– निश्चित समय, स्थान एवं तिथि पर नियमित बैठक।
– नियमों को बनाना एवं पालना करना।
– खाता बही हिसाब किताब लिखना एवं पारदर्शिता रखना।
– बैंक में खाता खोलना, माँग होने पर ऋण लेना (लिकेंज)।
– नियम उल्लंघन हेतु दंड का प्रावधान।
– सभी सदस्यों की बराबर एवं नियमित बचत।
– सर्वसम्मति से सामूहिक निर्णय।
– सदस्यों के बीच आन्तरिक ऋण।
– बचता एवं ऋण दोनों ही समूह की बैठक में करना।
– शत प्रतिशत ऋण चुकौती।
– समूह में आय सृजन गतिविधि का संचालन।
– बचत, आन्तरिक ऋण, बैंक ऋण, शत–प्रतिशत ऋण वापसी, आय सृजन गतिविध में पैसा लगाना तथा उत्पादक कार्यो में पैसा लगाकर क्रमिक विकास।

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण सोसायटी

रजि0 नं 1207/जयपुर 2010–11

अरावली भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर – 302004 (राज.)